पत्र संख्या -विधि-2-(1)-प्रवेश कर अधिनियम/ नियमावली /-194/ (09-10) 1738/0910076 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ,

(विधि अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ:: जनवरी 21,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

शासन के पत्र संख्या क0नि0-127/ ग्यारह-2-9-107/07-2010 दिनांक 19-1-2010 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन के कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2- 122/ ग्यारह-9 (107)/07 उ0प्र0 एक्ट-30-2007-आदेश-(53)-2010 दिनांक 19-1-2010 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली-2010 को मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-4-(1)-विज्ञप्ति-भाग-2-(09-10)/ 1720-/ वाणिज्य कर/ दिनांक 19-1-2010 द्वारा प्रसारित किया गया है तथा यह विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उक्त विज्ञप्ति द्वारा प्रवेश कर नियमावली में किये गये संशोधन के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार है :-

(क) अधिनियम की धारा- 9 की उपधारा (2) में प्राविधान है कि प्रदेश के भीतर व्यापार का निश्चित स्थान रखने वाला कर का देनदार प्रत्येक व्यापारी स्वत: निर्धारित कर का वार्षिक विवरण पत्र प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये प्रस्तुत करेगा। अत: नियम 4 में संशोधन द्वारा वार्षिक विवरण पत्र का प्रारुप 'फार्म-एफ' निर्धारित किया गया है। नियमावली में वार्षिक विवरण पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली के प्राविधान लागू होने की व्यवस्था है। वर्ष 2006-2007 तक के कर निर्धारण हो चुके है। वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 का वार्षिक विवरण पत्र दिनांक 31-1-2010 तक दाखिल किया जा सकेगा। ऐसी परिस्थितियॉ होने पर जिसकी वजह से सामान्य रुप से व्यापारी नियत तिथि तक वार्षिक विवरण पत्र दाखिल नहीं कर सके, राज्य सरकार व कमिश्नर वार्षिक विवरण पत्र दाखिल करने की तिथि बढ़ा सकते है।

ऐसे व्यापारी जिनका प्रदेश के भीतर व्यापार का निश्चित स्थान नहीं है तथा करदेयता की परिधि में आते हैं, के द्वारा कर जमा करने एवं विवरण पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

(ख) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (3-क) में प्राविधान किया गया है कि यदि माल पर पूर्व स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर का भुगतान किया जा चुका है तथा दूसरे स्थानीय क्षेत्र के क्रेता द्वारा पूर्व स्थानीय क्षेत्र के विक्रेता से विहित प्रारुप में घोषणा-पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत कर दिया जाता है तो दूसरे स्थानीय क्षेत्र में इस माल पर व्यापारी से कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण नहीं किया जायेगा। नियम 5 के उपनियम (1) मे निर्धारित किया गया है कि यह घोषणा पत्र फार्म डी में होगा। तद्नुसार फार्म-डी के प्रारुप में भी संशोधन किया गया है।

यदि कोई व्यापारी स्थानीय क्षेत्र में माल लाने के बाद इस आधार पर कर दायित्व स्वीकार नहीं करता है कि माल स्थानीय क्षेत्र से बाहर दूसरे स्थानीय क्षेत्र के व्यापारी को विक्रय / हस्तान्तरित कर दिया गया है तो ऐसे विक्रेता व्यापारी द्वारा कर न जमा किये जाने का उल्लेख

(घोषणा) जारी की जाने वाली इन्वायॅस में किया जायेगा । ऐसा प्राविधान नियमावली में किया गया है ।

ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जब विक्रय किये जाने वाले माल में कुछ माल पर कर का भुगतान किया जा चुका हो और कुछ माल कर योग्य हो परन्तु इनमें अन्तर किया जाना सम्भव न हो । इस समस्या के समाधान के लिये यह प्राविधान किया गया है कि व्यापारी द्वारा माल की जितनी मात्रा टैक्स पेड खरीदी गयी हो अथवा जिस मात्रा में स्वयं कर अदा किया गया हो, उस मात्रा की सीमा तक माल विक्रय किये जाने के समय व्यापारी द्वारा जारी की जाने वाली सेल इनवाईस / टैक्स इनवाईस / ट्रांसफर इनवाईस में माल को टैक्स पेड घोषित किया जा सकता है । इसी प्रकार करयोग्य माल के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया जा सकता है ।

किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर का भुगतान किये हुये माल की अन्तरप्रान्तीय बिक्री / कन्साइनमेन्ट या भारत के बाहर माल के निर्यात की स्थिति में केन्द्रीय बिक्रीकर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 के अन्तर्गत दाखिल घोषणा -पत्र या प्रमाण पत्र को प्रवेश कर की वापसी या समायोजन के लिए पर्याप्त साक्ष्य माना गया है । कुछ वस्तुएं जो वैट अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त हैं यथा-चीनी, के व्यापारियों को वैट अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण न होने के कारण दूसरे राज्यों से फार्म नहीं प्राप्त होता है । ऐसे व्यापारियों द्वारा प्रवेश कर की वापसी / समायोजन हेतु, अन्य साक्ष्य जिसमें जी आर/ आर आर की प्रति, बिल/ चालान की प्रति, भुगतान का विवरण, क्रेता द्वारा प्रश्नगत माल प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) कुछ माल पर निर्माता के माध्यम से प्रवेश कर की वसूली की जाती है । नियम 7 के खण्ड(क) में व्यवस्था है कि निर्माता कर की धनराशि सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी के नाम से बने डिमाण्ड ड्राफ्ट से प्राप्त करेगा । इससे कठिनाई आती रहती है । अत: डिमाण्ड ड्राफ्ट से कर प्राप्त करने सम्बन्धी अंश को हटा दिया गया है ।

अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) में प्राविधानित है कि निर्माता क्रेता से प्राप्त किये गये कर को क्रेता व्यापारी को जारी टैक्स इनवाईस या सेल इनवाईस में पृथक से दिखायेगा तथा इसे कर के भुगतान का साक्ष्य माना जायेगा । यही प्राविधान वर्तमान नियम 7 के खण्ड (ग) एवं (घ) में है । अधिनियम में उक्त प्राविधान के दृष्टिगत इसे नियम से हटा दिया गया है ।

(घ) नियमावली में कई स्थानों पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के किसी नियम विशेष को अंगीकृत करने का उल्लेख है । ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के ऐसे नियम संशोधित होने पर प्रवेश कर नियमावली में भी संशोधन किये जाने की आवश्यकता रहेगी । इसे ध्यान में रखते हुये नियमावली में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के जिन- जिन नियम विशेष को अंगीकृत किया गया है, उस नियम विशेष का उल्लेख न करके केवल विषय विशेष का ही उल्लेख किया गया है ताकि उस विषय विशेष से सम्बन्धित जो भी नियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली में होंगे, वह सभी इस नियमावली में अंगीकृत हो सकेंगे । तद्नुसार नियमावली के नियम 4, नियम 5 एवं नियम 7 में संशोधन किया गया है ।

(ड़) नियमावली में निर्धारित फार्मो में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसे देखते हुये नियमावली में नया नियम 8 जोड़ते हुये यह प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार व राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से कमिश्नर फार्म के प्रारुप में संशोधन कर सकते है ।

(च) टैक्स पीरियड के रिटर्न के वर्तमान प्रारुप-सी को सुस्पष्ट एवं सरलीकृत नये प्रारुप-सी से प्रतिस्थापित किया गया है । विनिर्माता द्वारा कर प्राप्ति से सम्बन्धित फार्म-ई सुस्पष्ट करने के लिए तथा नियम 7 में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रारुप- ई को नये प्रारुप- ई से प्रतिस्थापित किया गया है ।

अत: उक्त स्थिति से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली-2010 के अनुरुप आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- अध्यक्ष / निबन्धक,उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0।
4- समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइण्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
5- अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर, लखनऊ ।
6- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक/वि0अनु0शा0/अपील/ कारपोरेट सर्किल/ ऑयल सेक्टर) वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
8- ज्वाइण्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।
9- ज्वाइण्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर/ असिस्टेन्ट कमिश्नर , उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ ।
10- विधि अनुभाग / मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र /नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 20, 5, 5 तथा 5 प्रतियां ।
11- समस्त डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

(यू0सी0दीक्षित)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।